26/02/26 आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हेतु पेश हुयी। वकील फरीकेन उप० हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादी का वाद-पत्र स्वीकार कर आंशिक डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फौरन शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद शर्त आमिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – रामकिशोर मीना (आर.ए. एस)
मुकदमा नम्बर :–187/24
दायर दिनांक :– 26/11/24
निर्णय दिनांक :– 26/02/26

उनवान

1. हरीश कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जाति ब्राहमण निवासी बहरोड तहसील बहरोड जिला कोटपुतली बहरोड़ राज० ....वादी

बनाम

1. मुकेश पुत्र श्री मातादीन जाति ब्राहमण निवासी बहरोड तहसील बहरोड।
2. विधाधार पुत्र स्वण् श्री युधिष्टर पौत्र शंकरलाल जाति ब्राहमण बहरोड तहसील बहरोड़
3. अधिशाषी अभियन्ताए सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत बहरोड तहसील बहरोड जिला कोटपुतली बहरोड़ राज०
4. सहायक अभियन्ताए सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत बहरोड तहसील बहरोड़।
5. कनिष्ठ अभियन्ताए सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत बहरोड तह० बहरोड।
6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड़।

.......प्रतिवादीगण

<u>दावा. इस्तकरार हक दुरूस्ती इन्द्राज व नक्शा ट्रैश व हुक्म इम्तनाई दवामी</u>

उपस्थित :–

1. श्री मोहनलाल गुप्ता अधिवक्ता वादी।
2. श्री विजय मेहरा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से।
3. सहायक अभियन्ता प्रतिवादी संख्या 03 लगायज 5 की ओर से।

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश हेतु पेश हुयी। वकुलाय फरिकेन वकील उपस्थित है। हमाने पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादी द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर साबिक संवत 2020 से पूर्व 69 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा जिसका संवत 2020 में बना नया नंबर 70 लगभग 2 बीघा 12 बिस्वा जिसका संवत 2042 में बना नया नंबर 34 रकबा 43 एयर वाके ग्राम झारोडा तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान में स्थित है जिसे वाद पत्र के आगामी सभी पदों में विवादित आराजी से संबोधित किया जा रहा है। आराजी खसरा नंबर साबिक 70 लगभग 2 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम झारोडा तहसील बहरोड में से बहरोड़ नारनौल सड़क मार्ग निकाला जिस पर सड़क मार्ग निकलने पर सड़क के तरफ उत्तर व दक्षिण में खसरा नंबर साबिक 70 की शेष भूमि बची जो नक्शा ट्रेस सन 1957 में स्पष्ट है जो सड़क के तरफ उत्तर व दक्षिण में खसरा नंबर 70 अंकित है जो नक्शा ट्रेस संलग्न है। वादीगण वं वादीगण के बुजुर्ग व प्रतिवादिगण संख्या 1 व 2 वह उनके बुजुर्ग व अन्य से खातेदार अपने.अपने हिस्से के मुताबिक काबिज चले आ रहे तथा वादी अपने बुजुर्ग के फुट स्टेप पर सड़क मार्ग के तरफ दक्षिण में काबिज चला आ रहा है तथा बुजुर्गोन ने बुजुर्ग की यादगार में तरफ दक्षिण में तिबारा बनाया हुआ है जो मौके पर मौजूद है तथा वादी बिना किसी रूकावट के काबिज चल रहा है जिससे हाल व साबिक रिकार्ड व नक्शा ट्रेश आदि को देखने की कोई आवश्यकता नहीं हुई जिससे वादी को हाल गलत नक्शा ट्रेस की जानकारी एवं ज्ञान नहीं हो सका। अब दिनांक 10.11.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मनवादी को विवादित आरजी के सड़क मार्ग बहरोड नारनौल के तरफ दक्षिणी दिशा में बेदखल करने व जबरन कब्जा करने पर आमादा फीसाद हुये तो मानवादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को ऐसा नहीं करने के लिए मना किया तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सड़क मार्ग के तरफ दक्षिणी दिशा पर जबरन कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

करने व करवाने एवं दिगर लोगों को बेचान करने की धमकी दी जिस पर मनवादी ने राजस्व रिकॉर्ड को देखा एवं नकले प्राप्त करने पर मनवादी को पता चला की तरफ दक्षिण का हिस्सा राजस्व विभाग द्वारा नक्शा ट्रेस मे सड़क मार्ग बहरोड़ नारनौल मे शामिल कर दिया तथा नक्शा ट्रेस मे सड़क मार्ग के तरफ दक्षिण का हिस्सा खत्म कर दिया जिस पर मनवादी ने प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 से पूछताछ की तो प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 ने धमकी दी कि राजस्व विभाग द्वारा सड़क मार्ग के तरफ दक्षिण के हिस्से की जमीन को सड़क मार्ग मे मिला दिया जो प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 द्वारा अब तरफ दक्षिण में सड़क मार्ग का निर्माण करेंगे और वादी को बेदखल करेंगे और दिनांक 15º11º2024 को प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 के अधीनस्थ कर्मचारी गण मौके पर आए तथा आते ही मानवादी को भी बेदखल करने व मनवादी की जमीन को सड़क मार्ग की जमीन बताते हुए चिन्हित करने लगे तो मनवादी ने प्रतिवादी गण के अधीनस्थ कर्मचारी को ऐसा नहीं करने के लिए मना किया तो प्रतिवादिगण के अधीनस्थ कर्मचारीगण ने धमकी दी की वादी को शीघ्र ही बेदखल कर सड़क मार्ग मे मिलाई जाएगी इसलिए दावा किया जाना लाजिम आया है। अगर प्रतिवादिगण अपने इस कुत्सित इरादे में कामयाब हो गए तो मनवादी अपने जायज कानूनी हक व अधिकारों से वंचित हो जाएगा जिससे मनवादी को ऐसी असहनीय हानि होगी जिसे अर्थ मे नहीं नापा जा सकेगा इसलिए दवा हुकुम इम्तनाई दवामी का किया जाना लाजिम आया जो प्रतिवादिगण को हुकूम इम्तनाई दवामी से पाबंद किया जावे की प्रतिवादीगण मनवादी की सड़क मार्ग के तरफ दक्षिण से बेदखल नहीं करें ना ही गलत इंद्राज व गलत नक्शा ट्रेस की आड़ में प्रतिवादी संख्या 3 लगा० 5 वादी के हिस्से पर जबरन सड़क निर्माण नहीं करें ना ही सड़क मार्ग में जबरन मिले तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी को बेदखल नहीं करें ना ही जबरन कब्जा करें। राजस्व विभाग द्वारा नया नक्शा ट्रेस बनाते समय बिना मौके पर कब्जा की जांच किए बिना साबिक नक्शा ट्रेस का अवलोकन किए बिना वादी से पूछताछ किये बहरोड़ नारनौल सड़क मार्ग के दक्षिण के हिस्से को जबरन गलत रूप से सड़क मार्ग में मिलते हुए नया नक्शा कायम किया हैजो खिलाफ मौका खिलाफ कब्जा खिलाफ शाबिक नक्शा ट्रेस है जिसको मुताबिक साबिक नक्शा ट्रेस व कब्जा के दुरस्त किया जाकर बहरोड़ नारनौल सड़क मार्ग के तरफ दक्षिण में खसरा नंबर 34 अंकित किया जावे जो साबिक नक्शा ट्रेश में सड़क मार्ग की तरफ उत्तर व दक्षिण में शाबिक खसरा नंबर 70 अंकित है उसी प्रकार से हाल नक्शा ट्रेस में सड़क मार्ग में तरफ उत्तर दक्षिण में हाल खसरा नंबर 34 अंकित किया जावे तथा नक्शा ट्रेस को दुरस्त किया जावे। अन्य से खातेदार अपने-अपने हिस्से पर काबिज है जो कोई किसी प्रकार से उजर एतराज नहीं कर रहे हैं इसलिए अन्य से खातेदारों को समय व धन बर्बाद होने की सूरत में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है यदि न्यायालय श्रीमान अन्य से खातेदारों को आवश्यक पक्षकार मुकदमा समझने की सूरत में वादी पक्षकार मुकदमा बनाने के लिए तैयार है। नोटिस जेर दफा 80 जी०डी० का श्रीमान तहसीलदार साहब बहरोड को दिया जा चुका है लेकिन वाद पत्र आवश्यक नेचर का होने के कारण नोटिस की अवधि से पूर्व ही सुना जाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थना पत्र जेर दफा 80 य2क जाप्ता दीवानी का अलग से पेश किया जा रहा है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निम्न दादरसी विरुद्ध प्रतिवादिगण शादिर अता फरमाए जाने की कृपा करें।

क. यह है कि वादी ने वाद पत्र पेश करते समय वाद पत्र में संवत 2020 के साबिक ख० न० 70 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम झारोडा तहसील बहरोड जिसका संवत 2042 में रकबा 0.43 ऐयर बनाया गया जो मैट्रिक माप प्रणाली से कम बनाया गया है प्रार्थी की साबिक आराजी खसरा नम्बर 70 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा मे से सडक बना दी गई जिसका रकबा छोडकर प्रार्थी का बाकी रकबा 0º15 है० उक्त रोड के सामने तरफ पूर्व बचता है जिस पर वादी काबिज काश्त है। भूप्रबन्ध विभाग ने उक्त बचे रकबे का कोई भी खसरा नम्बर मिलान क्षेत्रफल की टेबिल व मिसल बन्दोबस्त मे नही दिखाया है जिससे वादी को भारी हानी हो रही है। उक्त बचे हुये रकबे का खसरा नम्बर मिलान क्षेत्र

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

मे बनाया जाकर वादी को 0.15 है० का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी प्रकार राजस्व नकशा मे अंकन किया जावे।

(ख) वादी ने वाद पत्र पेश करते समय वाद पत्र मे संवत 2020 के साबिक ख० न० 70 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम झारोडा तहसील बहरोड जिसका संवत 2042 मे रकबा 0.43 ऐयर बनाया गया जो मैट्रिक माप प्रणाली से कम बनाया गया है प्रार्थी की साबिक आराजी खसरा नम्बर 70 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा मे से सडक बना दी गई जिसका रकबा छोडकर प्रार्थी का बाकी रकबा 0.15 है० उक्त रोड के सामने तरफ पूर्व बचता है जिस पर वादी काबिज काश्त है। भूप्रबन्ध विभाग ने उक्त बचे रकबे का कोई भी खसरा नम्बर मिलान क्षेत्रफल की टेबिल व मिसल बन्दोबस्त मे नही दिखाया है जिससे वादी को भारी हानी हो रही है। उक्त बचे हुये रकबे का खसरा नम्बर मिलान क्षेत्र में बनाया जाकर वादी को 0.15 है० का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा प्रतिवादी सं० 3 लगा० 5 गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर वादीध् प्रार्थी को बेदखल नहीं करे जबरन कब्जा नही करे जबरन सडक मे नही मिलाये प्रतिवादी सं० 1 व 2 वादी को बेदखल नही करे। इसी प्रकार राजाब नकशा में अंकन किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणो को जरिये रजिस्टर सम्मन डाक से तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायात 5 के द्वारा इकाबाल जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नही है। अंकित किया है। चुकि प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन बाबत कोई आपत्ति नही की है। जिस सूरत में वाद पत्र अनुसार निर्णय किया जाना वोछित है।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में जमाबन्दी संवत 2076–2079 प्रदर्श–1, नक्शा संवत 2037 प्रदर्श–02, नक्शा संवत 1957 प्रदर्श–3, नकल नोटिस प्रदर्श–04, पेश किये है। प्रार्थी / वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया है।

हमारे द्वारा वकुलाय की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया। वादी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी संवत 2020 से पूर्व आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा जिसका संवत 2020 में नया आराजी खसरा नम्बर 70 रकबा 2 बीघा 12 बिस्व जिसका संवत 2042 में नया खसरा नम्बर 34 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम झारोडा तहसील बहरोड़ बनाया गया है। उक्त विवादित आराजी का साबिक रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा जिसका रकबा हाल भू–प्रबन्ध संवत 2042 में मुताबिक मैट्रिक माप प्रणाली से 0.43 है0 बनाया गया है। मुताबिक साबिक व हाल खसरा नम्बर प्रार्थी का उक्त रकबा हाल खसरा नम्बर 34 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम झारोडा तहसील बहरोड का 0.15 शेष रकबा संवत 2020 में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक खसरा नम्बर 69 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा से बना खसरा नम्बर 70 में बहरोड से नारनौल रोड अंकित कर तरफ पूर्व शेष रकबा का कोई खसरा नम्बर पृथक–पृथक अंकित नही किये जबकी साबिक खसरा नम्बर 69 से संवत 2020 से नया नम्बर 70 बनाकर बीच में रोड अंकित कर दिया। जिसको संवत 2042 में हाल खसरा नम्बर 34 रकबा 0.43 है0 बना दिया। वादी का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः वादी वाद पत्र आंशिक डिक्री कर वादी को हाल खसरा नम्बर 34 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम झारोडा तहसील बहरोड़ के 5 / 168 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी को उक्त भाग को नक्शे में कब्जे के अनुसार पृथक से एक्ट पार्चा कायम कर नया खसरा नम्बर कायम कर खातेदार दर्ज किया जावे। इसी कदर हाल भू–अभिलेख को संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

यह निर्णय आज दिनांक 26/2/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया

राजस्व अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड)
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बहरोड

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – रामकिशोर मीना (आर.ए. एस)
मुक्दमा नम्बर :–187 / 24
दायर दिनांक :– 26 / 11 / 24
निर्णय दिनांक :– 26/2/26

उनवान

1. हरीश कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जाति ब्राहमण निवाती बहरोड तहसील बहरोड जिला कोटपुतली बहरोड़ राज० ....वादी

बनाम

1. मुकेश पुत्र श्री मातादीन जाति ब्राहमण निवासी बहरोड तहसील बहरोड।
2. विधाधार पुत्र स्वण् श्री युधिष्टर पौत्र शंकरलाल जाति ब्राहमण बहरोड तहसील बहरोड़
3. अधिशाषी अभियन्ताए सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत बहरोड तहसील बहरोड़ जिला कोटपुतली बहरोड़ राज०
4. सहायक अभियन्ताए सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत बहरोड तहसील बहरोड़।
5. कनिष्ठ अभियन्ताए सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत बहरोड तह0 बहरोड।
6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड़।

.......प्रतिवादीगण

दावा. इस्तकरार हक दुरुस्ती इन्द्राज व नक्शा ट्रैश व हुक्म इम्तनाई दवामी

उपस्थित :–

1. श्री मोहनलाल गुप्ता अधिवक्ता वादी।
2. श्री विजय मेहरा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की और से।
3. सहायक अभियन्ता प्रतिवादी संख्या 03 लगायज 5 की और से।

–: पर्चा डिक्री :–

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश हेतु पेश हुयी। वकुलाय फरिकेन वकील उपस्थित है। हमाने पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादी वाद पत्र आंशिक डिक्री कर वादी को हाल खसरा नम्बर 34 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम झारोडा तहसील बहरोड़ के 5 / 168 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी को उक्त भाग को नक्शे में कब्जे के अनुसार पृथक से एक्ट पार्चा कायम कर नया खसरा नम्बर कायम कर खातेदार दर्ज किया जावे। इसी कदर हाल भू–अभिलेख को संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ....26/2/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।

रामकिशोर मीणा
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी बहरोड
उपखण्ड अधिकारी
(कोटपूतली–बहरोड़)